

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र Nuclear Fuel Complex  
सीएचएसएस अनुभाग CHSS Section

सं. Ref.No.NFC/Admn./CHSS/MS/2020/415

दिनांक Dated 19.07.2021

**परिपत्र CIRCULAR**

विषय : आपात स्थिति के अंतर्गत चिकित्सा उपचार का लाभ लेने के लिए खर्च किये गये व्यय की आपूर्ति हेतु दावा।

Subject : Claim for reimbursement of expenditure incurred for availing medical treatment under emergency.

\*\*\*

उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर परिपत्रों अर्थात् नवीनतम 21.09.2020 को जारी किये जाने के बावजूद यह देखा गया है कि सीएचएसएस के कुछ लाभार्थी आपात स्थिति बताते हुए विनिर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना गैर-पैनलित अस्पतालों में सीएचएसएस के अधीन स्वयं और/अथवा सीएचएसएस के अधीन पंजीकृत परिवार के अन्य सदस्यों के चिकित्सा उपचार के लिए खर्च किए गये व्यय की आपूर्ति हेतु दावा कर रहे हैं। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि कर्मचारी/लाभार्थी गैर-पैनलित निजी अस्पतालों में आपातकालीन स्थिति में उपचार का लाभ लेने के बारे में प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ओएचसी, सीएचसी, सीएचएसएस एवं एचआईएमएस), नाईस को सूचना नहीं दे रहे हैं और प्रतिपूर्ति हेतु सीधे दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।

In spite of issuing circulars from time to time on the above, latest being on 21.09.2020, it has been observed that some of the CHSS beneficiaries are preferring claims for reimbursement of expenses incurred for medical treatment of themselves and / or other family members registered under CHSS in non - empanelled private hospitals, without following prescribed procedure, citing emergency. Moreover, it is also noticed that the employee / beneficiary concerned are not reporting about the emergency treatment availed in a non-empanelled private Hospital to the Head Medical Division / CMS(OHC,CHC,CHSS& HIMS), NFC and are submitting claim directly for reimbursement.

2. यह नोट किया जाए कि सीएचएसएस नियम, 1998, के नियम 15.2 के अनुसार आपातकालीन स्थिति से आशय ऐसी परिस्थिति अथवा आपात स्थिति जब रोगी के स्वास्थ्य के संबंध में एक गंभीर खतरा अथवा जोखिम अथवा गंभीर, अथवा रोगी के स्वास्थ्य गिराने के प्रभाव के आधार पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने से है।

It may be noted that in accordance with Rule 15.2 of CHSS Rules 1998, emergency shall mean a situation or contingency when but for the immediate medical aid sought there would have been, on the basis of the medical and attendant considerations a serious danger or hazard or severe or deleterious consequence to the health of the patient.

लगातार/Cont...../-

3. इस प्रकार, सीएचएसएस नियम, 1998 के नियम 15.4 के अनुसार संबंधित कर्मचारी/लाभार्थी इस योजना के तहत पंजीकृत अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के आपातकालीन उपचार के संबंध में जानकारी यथाशीघ्र संभव दें और किसी भी स्थिति में चिकित्सा प्रारंभ होने की तारीख से 4 दिनों के भीतर औषधालय के चिकित्सा अधिकारी को दें जहां कर्मचारी पंजीकृत है। कर्मचारी उपचार के बारे में सूचना लिखित रूप में मेल/पत्र के माध्यम से प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ओएचसी, सीएचसी, सीएचएसएस एवं एचआईएमएस), को दें और दिए गये निदेश, यदि कोई हो तो, उसके अनुसार कार्य करें ऐसा न करने पर प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

Similarly, in accordance with Rule 15.4 of CHSS Rules 1998 the employee / beneficiary concerned should report the emergency treatment availed of either for himself / herself or for the members of his / her family registered under the scheme as early as possible and in any case within 04 days from the date of the commencement of the treatment to the Medical Officer of the Dispensary where the employee is registered. The employee should therefore inform about the treatment to Head, Medical Division or CMS(OHC,CHC,CHSS & HIMS) in writing either by mail / letter and thereafter act on the directions, if any, given to him / her failing which no reimbursement will be allowed.

4. प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, नाईस और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ओएचसी, सीएचसी, सीएचएसएस एवं एचआईएमएस), के ई-मेल आईडी निम्नवत है :

Email ID's of Head Medical Division, NFC and CMS(OHC,CHC,CHSS&HIMS) are as follows:

प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग Head, Medical Division - drvijay@nfc.gov.in  
उ.मु.का.(ओएचसी,सीएचसी,सीएचएसएसएवंएचआईएमएस)  
CMS(OHC,CHC,CHSS&HIMS) - drsangeetha@nfc.gov.in

5. सीएचएसएस नियम, 1998, के नियम 15.9 के अनुसार प्रतिपूर्ति हेतु दावा उपचार के प्रारंभ होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। इस समय सीमा में छूट दावाकर्ता के नियंत्रण के परे विशेष परिस्थितियों में प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ओएचसी, सीएचसी, सीएचएसएस एवं एचआईएमएस) के द्वारा 90 दिनों तक दी जा सकती है। इस प्रकार, नियम 15.5.1 के अनुसार अस्पतालों में चिकित्सा हेतु भर्ती रोगी के संबंध में सामान्यतः स्वीकार्य 15 दिन से अधिक नहीं दी जाती है जब तक कि प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (ओएचसी, सीएचसी, सीएचएसएस एवं एचआईएमएस) लिखित रूप में कारण दर्ज कर एक विशेष मामले के रूप में छूट नहीं देते हैं।

In accordance with Rule 15.9 of CHSS Rules 1998 a claim for reimbursement shall be preferred within 30 days from the date of commencement of treatment. This limit may be relaxed to 90 days by Head, Medical Division or CMS(OHC,CHC,CHSS&HIMS) in special circumstance, beyond the control of the claimant. Similarly, as per Rule 15.5.1 In-Patient treatment exceeding 15 days is not ordinarily permissible unless relaxed as a special case by Head Medical Division or CMS(OHC,CHC,CHSS&HIMS) for the reasons to be recorded in writing

6. उपर्युक्त को देखते हुए, सीएचएसएस के सभी लाभार्थियों से एक बार पुनः निवेदन किया जाता है कि चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में अनुपालन हेतु उपर्युक्त को नोट करें। दावे की प्रतिपूर्ति हेतु प्रपत्र तथा दावे के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची का विवरण निम्नवत है।

In view of the above, all the CHSS beneficiaries are once again requested to take note of the above for compliance in case of medical emergency. Proforma of claim for reimbursement and the list of documents to be submitted along with the claim are detailed below:

- a) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, नाईस को संबोधित तिथि के साथ विधिवत हस्ताक्षरित किया हुआ विस्तृत पत्र जिसमें, आपात की स्थिति में लिए गए उपचार के औचित्य को दर्शाते हुए, आवास/स्थान से नजदीकी पैनलित हॉस्पिटल/सरकारी हॉस्पिटल /सीएस(एमए) या सीजीएचएस हॉस्पिटल की दूरी जहां लाभार्थी बीमार हुआ था और जिस हॉस्पिटल से उपचार लिया गया था।  
A detailed letter duly signed with date, containing justification for availing treatment under emergency mentioning therein, the distance from residence / place where the beneficiary fell ill to the nearest empanelled hospital / government hospital / CS (MA) or CGHS hospital and to the hospital from where the treatment availed, addressed to CMS, NFC.
- b) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक(ओएचसी, सीएचसी, सीएचएसएस एवं एचआईएमएस), नाईस को उपचार से पहले/दौरान/तुरंत सूचना दिये जाने का दस्तावेजी प्रमाणपत्र  
Documentary proof for having informed Head, Medical Division or CMS(OHC,CHC,CHSS&HIMS), NFC before / during / immediately after the treatment.
- c) निर्धारित प्रपत्र में तिथि के साथ आवश्यकता प्रमाणपत्र सहित विधिवत हस्ताक्षरित हॉस्पिटल प्राधिकारियों द्वारा मूल मुहर सहित विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित दावा पत्र।(ओपी उपचार हेतु प्रमाणपत्र 'ए' एवं आईपी उपचार हेतु प्रमाणपत्र 'बी')  
Claim form in prescribed proforma duly signed with date along with essentiality certificate duly counter signed by Hospital Authorities with original stamp. (Certificate 'A' is for OP treatment and Certificate 'B' is for IP treatment).
- d) हॉस्पिटल प्राधिकारियों द्वारा मूल मुहर सहित विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित सम्पूर्ण विवरण सहित आपातकाल का प्रमाणन  
Certification of emergency with complete details duly counter signed by Hospital Authorities with original stamp.
- e) हॉस्पिटल प्राधिकारियों द्वारा मूल मुहर सहित विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित मूल रूप में लिखित उपचार एवं रोकड़ रसीद।  
Prescription & Cash memos in original duly counter signed by Hospital Authorities with original stamp.
- f) हॉस्पिटल प्राधिकारियों द्वारा मूल मुहर सहित विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित उपचार के सम्पूर्ण विवरण सहित हॉस्पिटल से छुट्टी का सारांश।  
Discharge summary with complete details of the treatment administered, duly counter signed by Hospital Authorities with original stamp.

लगातार/Cont...../-

- g) लाभार्थी के सीएचएसएस कार्ड की प्रतिलिपि  
Copy of CHSS card of the beneficiary.
- h) मुख्य लाभार्थी के बैंक का विवरण(सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में )  
Bank details of the prime beneficiary (in case of retired employee)
7. इसे सक्षम प्राधिकारी, नाईस के अनुमोदन से जारी किया जाता है  
This issues with the approval of Competent Authority, NFC.

19/7/2021

(नागार्जुना प्रसाद Nagarjuna Prasad)  
प्रशासनिक अधिकारी-III(सीएचएसएस)  
Administrative Officer-III(CHSS)

सभी कर्मचारियों हेतु To all the employees

सभी संयंत्र / अनुभाग All Plants /Sections

सभी सूचनापट्ट/All Notice Boards

सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी और परिवार के आश्रित सदस्य

All the retired employees and their dependent family members

प्रति Copy to:

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC - सादर सूचनार्थ - for kind information.
2. सभी उप-मुख्यकार्यपालक /महाप्रबंधक /महाप्रबंधक (जेडसी)/ वरिष्ठ महाप्रबंधक/ परियोजना निदेशक)कोटा //(क्षेत्रीय निदेशक ,हैक्षेत्रभंग/ उप-महाप्रबंधक/ वरि.प्रबंधक/प्रबंधक /उप प्रबंधक/ कार्यालय प्रभारी DCEs/GMs/GM(ZC)/Sr. DGMs/PD(NFC-K)/RD, HRPSU/ DGM/ SMs/Mgrs./DMs/OICs
3. प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक(ओएचसी, सीएचसी, सीएचएसएस एवं एचआईएमएस), मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी ,नाईस Head, Medical Division/ CMS(OHC,CHC,CHSS & HIMS) / CMO/ Medical Officer's, NFC
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ,नाईस/CAO, NFC
5. संयुक्त नियंत्रक (वित्त व लेखा), नाईस JC (F & A), NFC
6. उप महानिरीक्षक ,पञ्चवि मुख्यालय/समादेष्टा ,कें.औ.सु.ब./ DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF
7. महासचिव, नाईस औ.का.संघ/ General Secretary, NFC IWU
8. अध्यक्ष ,नाईस पर्य.कर्म.संघ/नाईस वैज्ञा.सहा.संघ/ नाईस अधिकारी संघ President, NFCSSA/ NFCSSA/ NUFCA

सूचनार्थ प्रति / Copy also for information to:

1. मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी, पखनि, हैदराबाद / CA & AO, AMDER, Hyderabad
2. प्रभारी वैज्ञानिक, टीआईएफआर, हैदराबाद / Administrative Officer, TIFR, Hyderabad
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
4. प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
5. प्रधानाचार्य, आईसीएस-I/II, एएयूच, हैदराबाद  
Principal, AECS-I/JS, Vice Principal / Incharge, AECS-II, Hyderabad
6. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल,ईसीआईएल कैंपस, हैदराबाद  
Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
- 7.आईआईडब्ल्यू, पञ्चवि, हैदराबाद/ IIW, DAE, Hyderabad